झारखण्ड सरकार
उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग

दिनांक 09.12.2016 को सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही –

विभाग के अन्तर्गत सभी निदेशालयों के पदाधिकारियों एवं विभागीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में संबंधित विषयों पर समीक्षा की गयी तदोपरान्त निम्नलिखित निदेश दिये गये :–

खान निदेशालय

क्र0 सं0	विषय	निदेश
1.	वेधन हेतु एजेंसी का चयन	निदेशक, भूतत्व के द्वारा सूचित किया गया कि अभी तक कुल पाँच वेधन एजेंसियों को वेधन कार्य हेतु Empanel किया गया है। निदेशानुसार पुनः इच्छा की अभिव्यक्ति प्रकाशित की गयी है ताकि कुछ और वेधन एजेंसियों को Empanel किया जा सके। निदेशक, भूतत्व को यह कार्य समय सीमा के अंदर पूर्ण करने का निदेश दिया गया। **(कार्रवाई– निदेशक, भूतत्व)**
2.	कोडरमा तथा गिरिडीह जिला अन्तर्गत पाए जाने वाले अबरख का ढिबरा के भंडार के आकलन का कार्य	ढिबरा की निलामी के लिए Base Price निर्धारित करने हेतु समिति का गठन कर दिनांक 30.11.2016 तक Base Value निर्धारित कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया था। बैठक में श्री ललित कुमार, सहायक निदेशक, भूतत्व के द्वारा तत्संबंधित प्रतिवेदन खान आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया गया। भूतत्व निदेशालय के द्वारा कोडरमा तथा गिरिडीह जिला में किये गये ढिबरा भण्डार के आंकलन के उपरान्त तैयार प्रतिवेदन झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, राँची को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया ताकि निगम के द्वारा निलामी की कार्रवाई की जा सके। *(कार्रवाई:– भूतत्व निदेशालय)* 2. ढिबरा के लिये प्राप्त प्रतिवेदन में से नये क्षेत्रों का Detailed Information प्राप्त करने का कार्य श्री आर0पी0 मिश्रा, अपर निदेशक, भूतत्व, हजारीबाग को दिया गया है। दो क्षेत्रों की पहचान कर अंतरिम प्रतिवेदन दिया गया है। सचिव महोदय के पृच्छा के उत्तर में निदेशक, खान के द्वारा बताया गया कि उक्त क्षेत्रों को Composite License (PL Cum ML) के आधार पर खनन् पट्टा स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है। इस संबंध में अपर निदेशक, भूतत्व, हजारीबाग को निविदा पत्र (Tender Document) तैयार करने का निर्देश दिया गया। *(कार्रवाई:– अपर निदेशक, भूतत्व, हजारीबाग)*
3.	**Geological Museum**	निदेशक, भूतत्व के द्वारा सूचित किया गया कि Geological Museum स्थापना के संबंध में राँची विश्वविद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। उक्त प्रस्ताव में Geological Museum की स्थापना के लिए DPR तैयार करने हेतु Consultant के नियुक्ति की अनुशंसा की गयी है। साथ ही विभागीय पदाधिकारी द्वारा भी National Level पर Museum के लिए सम्पर्क कर प्रस्ताव दिया गया है। उनके द्वारा भी DPR के लिए Consultant की नियुक्ति की अनुशंसा की गयी है। विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा निम्नलिखित संस्थानों के द्वारा Consultancy उपलब्ध कराने की सूचना दी गयी है:–

क्र0 सं0	विषय	निदेश
		i. Creative Museum Designers, a wing of National Council of Science Museum, Ministry of Culture, Govt. of India, Salt Lake, Kolkata ii. Curatorial Division, GSI, Kolkata इसके अतिरिक्त इच्छा की अभिव्यक्ति प्रकाशित करते हुए भी Consultant की नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है। इस संबंध में सरकार से निर्देश की मांग की गयी है। . राँची विश्वविद्यालय के द्वारा विभागीय Museum के उन्नयन के लिए आठ लाख रूपया अनुदान की भी मांग की गयी है। प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है। *कार्रवाई:– संयुक्त सचिव)*
4.	ग्रेड निर्धारित करने के लिए संकलित खनिज के नमूनों का रासायनिक विश्लेशण	जिला खनन् पदाधिकारी, चाईबासा के द्वारा बतलाया गया कि NML, Jamshedpur को भेजे गये नमूनों का विश्लेषणफल प्राप्त हो गया है। अन्य खनन् क्षेत्रों से भी नमूना प्राप्त कर विश्लेषण कराने का निर्देश दिया गया। *कार्रवाई:– जिला खनन् पदाधिकारी, चाईबासा/सहायक निदेशक, भूतत्व, चाईबासा*
5.	वृहत खनिज के खनन पट्टों का मानचित्र (MSS)	सभी जिलों से खनन पट्टों के मानचित्र की Hard copy प्राप्त हो गया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि खनन पट्टों के Hard copy को digitization हेतु निदेशक, भूतत्व को भेज दिया जाए। निदेशक, भूतत्व झारखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र की सहायता से सभी Cadastrial Map का Digitization एवं Georeference कराएँगे **(कार्रवाई– निदेशक, भूतत्व/श्री अरूण कुमार, भूतत्ववेत्ता, खान निदेशालय)**
6.	**DGPS Survay** कार्य	DGPS Survey का कार्य गुमला, लोहरदगा एवं पश्चिम सिंहभूम जिला में संपादित किये जाने की सूचना खनन् पदाधिकारियों एवं सहायक निदेशक, भूतत्व के द्वारा दी गयी। गुमला तथा लोहरदगा जिला मे मुख्यतः Hindalco की खानें हैं। Hindalco के द्वारा ससमय डाटा उपलब्ध नहीं कराने के कारण कार्य की प्रगति धीमी होने की सूचना सहायक निदेशक, भूतत्व, राँची के द्वारा दी गयी। विशेष सचिव के द्वारा निर्देश दिया गया कि सहायक निदेशक, भूतत्व, राँची अपने स्तर से Hindalco को पत्र दें तथा समय पर डाटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाय। सहायक खनन् पदाधिकारी अपने–अपने जिलों में सभी वृहत खनिज के सभी पट्टाधारियों को यथाशीघ्र DGPS Survey कराने का निर्देश दें। यह कार्य समय सीमा के अन्दर पूरा कराने की जिम्मेवारी जिला खनन् कार्यालय की है। *कार्रवाई:– सभी जिला/सहायक खनन् पदाधिकारी/सभी उप निदेशक, खान/सभी संबंधित उप निदेशक/सहायक निदेशक भूतत्व)*
7.	अंकेक्षण प्रारूप कंडिका	श्री अरूण कुमार, अवर सचिव के द्वारा बताया गया कि सभी जिलों से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है। सभी संबंधित उप निदेशक, खान वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2014–15 का प्रतिवेदन संकलित कर उसे Hard एवं Soft copy में दिनांक 20.12.2016 तक निदेशक, खान को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। **(कार्रवाई:– निदेशक, खान/सभी संबंधित उप निदेशक, खान)**

क्र0 सं0	विषय	निदेश
8.	**DEAC/DEIAA**	लघु खनिज से संबंधित मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए प्रत्येक सप्ताह में DEIAA/DEAC की बैठक करने का निदेश दिया गया है। मिट्टी से संबंधित कोई मामला लम्बित नहीं है। यह सूचना सभी जिला/सहायक खनन पदाधिकारियों को लिखित रूप में देने का निदेश दिया गया। विकास संबंधित योजनाओं के लिए कार्यपालक अभियंता/अंचलाधिकारी, वन प्रमण्डल पदाधिकारी एवं ग्राम सभा से वार्ता कर मिट्टी से संबंधित खनन पट्टों का निष्पादन 30 दिनों के अन्दर करने का निदेश दिया गया। **(कार्रवाईः— जिला/सहायक खनन पदाधिकारी, राँची, धनबाद एवं साहेबगंज)**
9.	**न्यायालय संबंधी मामले**	श्री संजय सिन्हा, संयुक्त सचिव द्वारा जिलावार सभी मामलों की समीक्षा की गई एवं यह निदेश दिया गया कि NGT/खान न्यायाधिकरण/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय से संबंधित लंबित मामलों में प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु तथ्य विवरणी शीघ्र विभाग को भेजी जाय। दायर प्रतिशपथ पत्र की प्रति ओथ न0 के साथ विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। पुनः अवगत कराया गया कि ससमय प्रतिशपथ पत्र दायर नहीं होने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कई मामलों में Stricture/Suitable cost will be imposed संबंधी सूचना विद्वान अपर महाधिवक्ता द्वारा पत्र के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दुमका जिला के वाद सं0—Cr.MP No. 313/11 श्रीजल हाँसदा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में अभी तक प्रतिशपथ पत्र दायर नहीं किया गया है। विशेष सचिव द्वारा इस संबंध में संबंधित जिला खनन पदाधिकारी से कारणपृच्छा करने का निर्देश दिया गया। सभी उप निदेशक को निदेश दिया गया कि वे सुनिश्चित करें कि उनके प्रमण्डल के वादों में ससमय प्रतिशपथ पत्र दायर हो जाय। समीक्षा के क्रम मे बोकारो, रामगढ़ आदि जिला के काफी पुराने मामले पाये गए जिनमें शीघ्र प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु निर्देशित किया गया। समीक्षा के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, चाईबासा द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा खान निदेशालय को खान न्यायाधिकरण के मामलों से संबंधित सभी आवश्यक कागजात/तथ्य भेज दिए गए हैं। निदेशक, खान से अनुरोध किया गया कि वैसे सभी मामलों में जिनमें विभाग का अनुमोदन अपेक्षित है यथाशीघ्र विभाग को प्रस्ताव भेजें। श्री अरूण कुमार, अवर सचिव—सह—विधि नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रत्येक विधि मामलों का गहन अनुश्रवण कर विभाग में सप्ताहिक अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध करायें। खान आयुक्त द्वारा जिला/सहायक खनन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे अपने जिला से संबंधित सभी मामलों में ससमय विधिसम्मत कार्रवाई कर उसका प्रतिवेदन निदेशालय को एवं विभाग को उपलब्ध करायें। **(कार्रवाईः— सभी संबंधित जिला/सहायक खनन पदाधिकारी)**
10.	**Washed Coal से संबंधित मॉग पत्र**	सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा निदेश दिया गया कि यदि पट्टाधारियों द्वारा Washed Coal की बकाए राशि का भुगतान दिनांक 20.12.2016 तक नहीं किया जाता है तो संबंधित जिला/सहायक खनन पदाधिकारी एवं JIMMS द्वारा उनके चालान

क्र0 सं0	विषय	निदेश
		पर रोक लगा दी जाए। **(कार्रवाईः–सभी संबंधित जिला/सहायक खनन पदाधिकारी)**
11.	**नीलाम पत्र वाद**	समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि नीलाम पत्र वादों के निष्पादन की गति अत्यंत धीमी एवं असंतोषप्रद है, जिस पर खान आयुक्त के द्वारा खेद व्यक्त किया गया। साथ ही निदेश दिया गया कि नीलाम पत्र से संबंधित वसूली प्रत्येक सप्ताह में बैठक करते हुए निष्पादित किया जाय। प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में तत्संबंधी रिपोर्ट सभी उप निदेशक, खान–सह–नीलाम पत्र पदाधिकारी विभाग में अचूक रूप से उपलब्ध करायेंगे। **(कार्रवाईः– सभी संबंधित उप निदेशक, खान)**
12.	**अवैध खनन**	अवैध खनन से संबंधित वाद संख्या W.P.(C) PIL 1806/2015 के लिए जिलों से अद्यतन सूचनाएँ प्रपत्रों में एवं अवैध खनन के रोकथाम के लिए 10 सुत्री कार्य योजना से संबंधित प्रतिवेदन की माँग की जाती है ताकि अद्यतन स्थिति से माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराया जा सके। खान आयुक्त के द्वारा बताया गया कि उपरोक्त दोनों सूचनाएँ समय पर जिला खनन पदाधिकारियों के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है। उनके द्वारा खेद व्यक्त करते हुए सभी जिला/सहायक खनन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह में अवैध खनन के रोकथाम हेतु की गई कार्रवाई से संबंधित सूचनाएँ आगामी माह के प्रथम सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। **(कार्रवाई– सभी जिला/सहायक खनन पदाधिकारी)**
13.	**माईनिंग प्लान**	अपर निदेशक, खान, राँची के द्वारा उपलब्ध कराये गए 7 माईनिंग प्लान में से 6 माईनिंग प्लान को स्वीकृत कर दिया गया है एवं कतिपय कारणों से 1 माईनिंग प्लान को अस्वीकृत करते हुए वापस कर दिया गया है। अपर निदेशक, खान को निदेश दिया गया कि शेष माईनिंग प्लान को अनुशंसा के साथ पंद्रह दिनों के अंदर खान निदेशालय को भेजा जाए। **(कार्रवाई– अपर निदेशक, खान)**
14.	**JIMMS**	• परिवहन चालान पर खनिजों का विक्रय दर, स्वामिस्व की राशि को अंकित करने के लिए स्वीकृति प्राप्त कर आदेश निर्गत करने का निदेश दिया गया। **(कार्रवाई– निदेशक, खान/प्रोजेक्ट मैनेजर, JIMMS)** • सर्वश्री सी0एस0एम0 टेक्नोलॉजी के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि Online Income Tax एवं DMF की राशि online जमा करने के लिए संबंधित कार्रवाई NSDL, मुंबई के द्वारा की जा रही है। • 15 दिसम्बर 2016 से Delivery Order (DO) के विरूद्ध परमिट की निकासी बन्द करने का निदेश सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा दिया गया। **(कार्रवाई– प्रोजेक्ट मैनेजर, JIMMS)**
15.	**खनन पट्टेधारियों के साथ बैठक**	संयुक्त सचिव के द्वारा सभी जिला/सहायक खनन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अपने जिला के पट्टेधारियों के साथ नियमित बैठक करते हुए कार्यवाही को JIMMS के portal

क्र0 सं0	विषय	निदेश
		पर upload किया जाए। **(कार्रवाई– सभी जिला/सहायक खनन पदाधिकारी)**
16.	**राजस्व समाहरण**	• वित्तीय वर्ष 2015–16 के अनुपात में वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में माह नवंबर तक किये गये समाहरण की राशि में अत्यधिक कमी आई है। खान आयुक्त के द्वारा जिलों की समीक्षा के उपरान्त राजस्व संग्रहण हेतु प्रभावी कार्रवाई करने का निदेश दिया गया एवं सभी उप निदेशक, खान को यह निदेश दिया गया कि अपने अंचल अन्तर्गत खनन कार्यालयों में समाहरण की समीक्षा कर इसके बढ़ोतरी के लिए कार्रवाई करेंगे साथ ही, नीलाम पत्र वादों के निष्पादन पर विशेष ध्यान देंगे। **(कार्रवाई– सभी उप निदेशक, खान/सभी जिला/सहायक खनन पदाधिकारी)** • पिछले वित्तीय वर्ष 2015–16 के तुलना में वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में कम वसूली के कारणों की समीक्षा जिलावार की गई। सभी संबंधित जिला/सहायक खनन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अपने स्तर से प्रयास करते हुए समाहरण के लिए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करना सुनिश्चित किया जाए। **(कार्रवाई– सभी जिला/सहायक खनन पदाधिकारी)** निदेशक, खान को यह निदेश दिया गया कि यदि आवश्यक हो तो BCCL, CCL तथा अन्य संबद्ध कंपनियों के उच्चाधिकारियों की बैठक आयोजित कर बकाया राजस्व की वसूली हेतु समुचित कार्रवाई की जाय। **(कार्रवाई– निदेशक, खान)** • सप्ताह में दो दिनों के लिये क्षेत्र में भ्रमण कर अवैध खनन एवं खनिजों के अवैध परिवहन की रोकथाम करने हेतु औचक निरीक्षण करने का निदेश दिया गया। **(कार्रवाई– सभी जिला/सहायक खनन पदाधिकारी)**
17.	**अन्यान्य**	• नई गाडी के क्रय के संबध में केवल 3 जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। लोहरदगा, कोडरमा, लातेहार, बोकारो, दुमका, गढ़वा, धनबाद एवं राँची शेष 8 जिलों से वांक्षित प्रतिवेदन खान निदेशालय को शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। **(कार्रवाई– संबंधित सभी जिला/सहायक खनन पदाधिकारी)** • खान निरीक्षक से सहायक खनन पदाधिकारी तथा जिला खनन पदाधिकारी से उप निदेशक, खान के पद पर प्रोन्नति हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। **(कार्रवाई–संयुक्त सचिव)**

उद्योग निदेशालय

क0 सं0	विषय	निदेश
1.	पी0एम0ई0जी	पी0एम0ई0जी की समीक्षा की गई, जिसमें पाया गया कि खूँटी में 83 लक्ष्य के विरूद्ध अब तक मात्र 62 आवेदन, लातेहार में 88 लक्ष्य के विरूद्ध 24 आवेदन, लोहरदगा में 83 लक्ष्य के विरूद्ध 53 आवेदन एवं सिमडेगा में 92 लक्ष्य के विरूद्ध 88 आवेदन भेजे गये हैं। सभी इन चारों महाप्रबंधकों को स्पष्टीकरण पूछा जाय कि उनके द्वारा अब तक लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रयास क्यों नहीं किया गया। महाप्रबंधक, लातेहार द्वारा बतलाया गया कि उनके यहाँ अंतर्वीक्षा में अधिकांश आवेदन करूअ स्तर पर ही छटनीग्रस्त हो गया है, तथा दोबारा आवेदन करने के लिए आवेदक तैयार नहीं होते हैं। भारत सरकासर के द्वारा दिया गया निदेश में स्पष्ट है कि आवेदनकर्ता को इन्टरभव्यू हेतु विशेष परिस्थिति में ही बुलाया जाना है। अतः उपरोक्त चारों क‍ को भारत सरकार के निदेश की प्रति पुनः भेजने का निदेश दिया गया। **(कार्रवाई— उप निदेशक, उद्योग)**
2.	बैंको द्वारा ऋण की स्वीकृति	बैंकों द्वारा ऋण की स्वीकृति की समीक्षा की गई, जो नगन्य है। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि निदेशालय स्तर पर सभी बैंको के समन्वयक एवं KVIC के साथ बैठक बुलाई जाय ताकि इस संबंध में उचित निर्णय लिया जा सके तथा यदि कोई तकनीकी त्रुटि हो तो उसे दूर किया जा सके। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के आवेदन सृजन भी जिला उद्योग केन्द्र के द्वार किया जाना है। अतः खादी ग्रामोद्योग बोर्ड हेतु भी आवेदन सृजन का काम सभी महाप्रबंधक करें। सभी महाप्रबंधकों को निदेश दिया गया है कि उनके पास जो भी कलस्टर चिन्हित किया गया है। उसका उद्योग आधार 31 दिसंबर 2016 तक निश्चित रूप से सृजित करें एवंज नधन योजना के तहत यदि इच्छुक हो तो ऋण दिलाने की कार्रवाई करें ताकि अगले वित्तीय वर्ष में नये कलस्टर सृजन के संबंध में कठिनाई नहीं हो। **(कार्रवाईः— सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र)**

ज्ञापांकः [illegible]-64 /रॉची, दिनांक— 10/1/17

प्रतिलिपि— विशेष सचिव/खान आयुक्त/निदेशक, उद्योग/निदेशक, खान/निदेशक, भूतत्व/सभी उपायुक्त/अपर निदेशक, खान/भूतत्व/सभी जिला/सहायक खनन पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी, JIMMS/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/निदेशक, खान के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी उप निदेशक, खान/भूतत्व/ सभी सहायक निदेशक, भूतत्व/सभी अवर सचिव/सभी भूतत्ववेत्ता/उप सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/1/17

(आनन्द मोहन ठाकुर)
सरकार के संयुक्त सचिव